राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ–3(ख) विविध परिपत्र/अलेसे–1/ 197 दिनांक– 20-6-2019

परिपत्र

निदेशालय द्वारा माह फरवरी एवं मार्च 2019 में अधीनस्थ लेखा सेवा कर्मियों के किये गये स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में यह जानकारी में आया है कि अनेक स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण होने के पश्चात् भी आदिनांक तक अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया है। यह सही है कि राज्य में दिनांक 10 मार्च ,2019 से 26 मई, 2019 तक लोकसभा चुनाव हेतु आदर्श आचार संहिता लागू थी और इस अवधि में कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करना संभव नहीं हो पाया होगा परन्तु अब लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता को समाप्त हुए लगभग 25 दिवस हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में कार्मिकों द्वारा अब तक भी नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना अत्यन्त गंभीर विषय है।

समस्त स्थानान्तरणाधीन अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने के एक सप्ताह में ही अपने नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनकी कार्यग्रहण की सूचना ईमेल/डाक/दस्ती इस निदेशालय को अविलम्ब प्राप्त हो जाये। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कार्मिकों के विरूद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। यदि किसी कार्मिक को सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय द्वारा नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय पूर्ण कारण अंकित करते हुए इस निदेशालय की लिखित अनुमति प्राप्त करने की व्यवस्था कराये और यदि एक सप्ताह में लिखित अनुमति उपलब्ध नहीं होती है तो सम्बन्धित कार्मिक वर्तमान पदस्थापन कार्यालय से कार्यमुक्ति का इंतजार किये बिना अपने वर्तमान पद से कार्यभार परित्याग (Relinquish) कर अपने वर्तमान पदस्थापन विभाग को सूचित करते हुए नवपदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

उल्लेखनीय है राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 4 में किसी कार्मिक द्वारा विधिपूर्ण आदेशों या अनुदेशों की अवज्ञा किए जाने को अनुचित एवं अशोभनीय व्यवहार के रूप में शामिल किया गया है, अतः समस्त लेखा कार्मिक (सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड प्रथम, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–द्वितीय एवं कनिष्ठ लेखाकार) सूचित रहें कि किसी भी लेखा कार्मिक द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना या विलम्बित करने को उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार माना जायेगा और इससे उत्पन्न होने वाली किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए सम्बन्धित कार्मिक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक–एफ–3(ख) विविध परिपत्र/अलेसे–1/ 197 दिनांक– 20-6-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष———— को भेजकर लेख है कि वे स्थानान्तरणाधीन लेखाकार्मिक को अविलम्ब उनके नवपदस्थापन कार्यालय के लिए कार्यमुक्त करने का श्रम करें।
3. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा, जयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–1/II/III)
5. समस्त कोषाधिकारी
6. उपनिदेशक(एसीपी) को परिपत्र वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
7. समस्त सम्बन्धित लेखाकर्मी
8. रक्षित पत्रावली

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–1/II)